

पंजीकरण की तिथि
दिनांक:- 09.03.2024 से
23.04.2024 तक



हमारा प्रयास,आपका आवास



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ

पंजीकरण पुस्तिका

"प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास"

लोहरामऊ सुल्तानपुर
UPRERAPRJ15327

अवध विहार योजना, जनपद लखनऊ
UPRERAPRJ15287, UPRERAPRJ15315
UPRERAPRJ15312, UPRERAPRJ15294

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ
UPRERAPRJ15333, UPRERAPRJ292228
UPRERAPRJ321319, UPRERAPRJ930149

विस्तृत जानकारी हेतु देखें : Website : www.up-rera.in

Toll Free No:- 18001805333 जन सुविधा केन्द्र:- 0522-2236803

[f](#) [X](#) [i](#) [v](#) UPHDBHQ www.upavp.in info@upavp.com

उद्देश्य

- ❖ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास शुद्ध पेय जल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं के साथ पक्का मकान होगा।
- ❖ भारत के मा0 प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की परियोजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के विभिन्न घटकों में से “भागीदारी में किफायती आवास” (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विभिन्न जनपदों में संचालित परिषद की आवासीय योजनाओं में (जी+3 प्रकार) चार मंजिले भवनों को, प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
- ❖ **उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का परिचय:** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

भवनों के मुख्य आकर्षण

1. सुपर एरिया - 34.07 वर्ग मीटर।
2. कारपेट एरिया - 22.77 वर्ग मीटर।
3. दो कमरा, एक किचन स्पेस, एक बाथरूम, एक शौचालय एवं बालकनी।
4. ₹ 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र) देकर फ्लैट/ भवन का पंजीयन कराया जा सकता है।
5. प्रति भवन की कुल लागत - ₹ 6.00 लाख
6. केन्द्र सरकार का अंशदान - ₹ 1.50 लाख
7. राज्य सरकार का अंशदान - ₹ 1.00 लाख
- सरकार का कुल अंशदान योग - ₹ 2.50 लाख
8. चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि ₹ 3.50 लाख प्रति भवन/फ्लैट।
9. ₹ 5,000/- पंजीकरण धनराशि के उपरान्त शेष धनराशि सब्याज 15 वर्षों में अर्थात 180 मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सबके लिए आवास (जी+3) प्रकार के फ्लैट/भवन का विशेष पंजीकरण-2024

पंजीकरण हेतु फ्लैट/भवनों का विवरण

क्रम सं०	योजना /शहर का नाम	भवनो की संख्या (जी+3)	सुपर एरिया (वर्ग मीटर)	कार्पेट एरिया (वर्ग मीटर)	प्रति फ्लैट/भवन की कुल लागत (₹ लाख में)	भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (₹ लाख में)	पंजीकरण धनराशि (₹ में)	शेष धनराशि (₹ में)	फ्लैट/भवन में मासिक किशतों की संख्या एवं प्रति किशत की धनराशि	
									संख्या	धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लोहरामऊ सुल्तानपुर	22	34.07	22.77	6.00	2.50	5,000	3,45000	180	3,190
2	अवध विहार योजना, जनपद लखनऊ	216	34.07	22.77	6.00	2.50	5,000	3,45000	180	3,190
3	जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ	132	34.07	22.77	6.00	2.50	5,000	3,45000	180	3,190
	कुल योग	370								

पंजीकरण हेतु पात्रता

- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करता हो।
- पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु- 18 वर्ष से कम न हो।
- ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नहीं होंगे।
- दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों हेतु अधिकतम ₹3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 06 माह के पूर्व जारी हुये आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदनकर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र आवंटन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थी परिवार (मुखिया) में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायशी इकाइयां) नहीं होनी चाहिए।
- आरक्षित/ विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी द्वारा जारी जाति/ दिव्यांग प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- ▶ पंजीकरण हेतु परिवार की महिला, मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास को परिवार के पुरुष मुखिया के नाम किया जा सकता है।
- ▶ अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन-पत्र पात्रता हेतु अवैध/ मान्य नहीं होंगे।
- ▶ यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/ मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजीकरण/ आवंटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।

विशेष नोट

- ▶ आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- ▶ पंजीकरण/ आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ०प्र० सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी किसी भी प्रकार के निर्गत आदेश/ दिशा-निर्देश बाध्यकारी होंगे।
- ▶ भवनों की सीलिंग कास्ट बढ़ाये जाने एवं अनुदान दिये जाने की धनराशि के संबंध में शासनादेश में संशोधन/ पुनरीक्षित आदेश बाध्यकारी होंगे।
- ▶ योजना से संबंधित किसी भी बिन्दु पर विवाद की स्थिति में, आवास आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, का निर्णय अंतिम होगा।
- ▶ केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में दिये जाने वाले सभी दिशा निर्देश मान्य होंगे।
- ▶ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं।

पंजीकरण/चयन हेतु नियम व शर्तें

- ▶ आवेदन आफलाइन माध्यमों से किये जायेंगे।
- ▶ आवंटियों को निर्गत किये जा रहे आवंटन पत्रों में आवंटनोपरान्त जमा की जाने वाली प्रथम एकमुश्त धनराशि ₹ 3.50 लाख पर 10 प्रतिशत जमा कराई जाएगी।
- ▶ आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-21/2020/531/ आठ-1-20-106 विविध/ 2018 दिनांक 18.03.2020 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रमांक-8.10 के अनुपालन में, भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत की धनराशि का कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनो फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा।

- ▶ पंजीकृत लाभार्थी का सत्यापन उसके आधार नम्बर जो केन्द्र सरकार/ सूडा/ डूडा/ नगर निगम/ नगर पालिका में पंजीकृत होंगे, के आधार पर किया जायेगा। पंजीकृत/ अपंजीकृत आवेदक के आवेदन पत्र सूडा से सत्यापन के उपरान्त ही पात्रता की श्रेणी में अनुमन्य होंगे।
- ▶ आवासों का आवंटन एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- ▶ आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् चयनित पात्र लाभार्थियों के नाम परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
- ▶ पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत बैंक खाते में (NEFT/ RTGS के माध्यम से) वापस कर दी जायेगी।
- ▶ पात्र लाभार्थियों को लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से तथा समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित करायी जायेगी।
- ▶ यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- ▶ यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु प्रदेशन-पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। प्रदेशन पत्र जारी होने के 3 माह पश्चात् पंजीकरण/ आवंटन निरस्त कराने पर पंजीकरण धनराशि की 50 प्रतिशत कटौती करके शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- ▶ भारत सरकार/ राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर प्रभारित कर यथा-जी0एस0टी0, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटि को स्वयं वहन करना होगा।
- ▶ सम्पत्ति आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र/ माँग पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 वर्ष की 180 मासिक किश्ते 9.5% ब्याज की दर के अनुसार देय होगी। यदि देय धनराशि समयान्तर्गत नही जमा की जाती है तो विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
- ▶ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। फ्लैट/ भवन के कब्जा हेतु नियमानुसार किश्त किराया किरायेदारी अनुबन्ध (रूपया 500 के स्टाम्प पेपर पर) निष्पादित कराते हुए कब्जा सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर फ्लैट/ भवन का कब्जा दिया जायेगा।
- ▶ आवंटि द्वारा नियमानुसार फ्लैट/भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त, (कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासनादेश के अनुसार) रू0 500/-स्टाम्प पेपर व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के पश्चात् विक्रय विलेख निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।
- ▶ भवन के कुल मूल्य का एकमुश्त भुगतान करने वाले आवेदको को 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी व आवंटन मे वरीयता दी जायेगी व उनकी सार्वजनिक लाटरी पहले की जायेगी।

आरक्षण

उ०प्र० आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-1022/आठ-1-18-93विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 एवं शासनादेश संख्या-85/आठ-1-23-93विविध/2018 दिनांक 19.01.2023 के क्रम में, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में “वरीयता नीति” व्यवस्थानिम्नानुसार की गई है -

वर्टिकल वरीयता

क्रम सं०	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता
1	अनुसूचित जाति	21%
2	अनुसूचित जनजाति	02%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%

हारिजेंटल वरीयता

क्रम सं०	श्रेणी	हारिजेंटल वरीयता	कोड
1	दिव्यांगजन	05% (वरीयता-भूतल के भवन/फ्लैट)	D
2	विधवा/एकल महिला	08%	W
3	उभयलिंगी (Transgender)	0.5%	T
4	अल्प संख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।	-
5	वरिष्ठ नागरिक	10% (वरीयता-भूतल के भवन/फ्लैट)	S

- आरक्षण के लिये सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- संबंधित आरक्षण श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट:- उ०प्र० शासन द्वारा अन्य किसी श्रेणी/वर्ग को आरक्षण/वरीयता निर्धारित किया जाता है तो तदनुसार आरक्षण/वरीयता अनुमन्य होगा। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि इस विशेष पंजीकरण में विभिन्न परियोजनाओं के अवशेष भवनो हेतु पंजीकरण खोला गया है। अतः तदनुसार आरक्षण का प्राविधान परियोजनाओं में स्वीकृत समस्त भवनो के आधार पर आगणित किया जाएगा।

आवंटन

- आवेदकों की सूची जिलाधिकारी/अध्यक्ष सूडा को प्रेषित की जायेगी एवं वह इस सूची का भौतिक सत्यापन करते हुये वेलिडेटेड सूची, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करायेंगे। वेलिडेटेड सूची के आवेदकों को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। असत्यापित आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
- आवंटी विद्युत कनेक्शन, संबंधित विभाग से अपने खर्च पर स्वयं लेगा।
- लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध होगा।
- आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।
- इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।
- भविष्य में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में लिये गये निर्णय, आवेदक द्वारा मान्य होंगे।

आवंटी/ आवेदक की मृत्यु की दशा में

- यदि आवेदक/आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पंजीकरण/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार अद्यतन भुगतान करने पर यथास्थिति हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

भवनों का कब्जा

- भवनों का निर्माण आगामी दो वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु भवनों का कब्जा पूर्व में निर्गत शासनादेश के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण किये जाने के अनुसार अनुमन्य होगा।
- परिषद द्वारा सूचित अवधि में विलेख निष्पादन की कार्यवाही न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब/रख-रखाव शुल्क प्रति माह देय होगा।
- योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत निर्मित भवनों में कॉमन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में संपूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 05 वर्ष तक परिषद द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा। 05 वर्ष से पूर्व आर0डब्लू0ए0 का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त शासनादेश संख्या 3188/ आठ-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 05.12.2013 के प्रस्तर-2 के अनुसार ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित है। परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिये दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, किन्तु नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जायेगी, तत्पश्चात बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली की जायेगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि परिषद को वापस हो जायेगी। निर्माण के उपरान्त लाभार्थी के पक्ष में औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये एवं पंजीकरण अनुबन्ध निष्पादित कराते हुये कब्जा दिया जायेगा। 05 वर्ष की अवधि के बाद ही विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा। 05 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुये उक्त इकाई परिषद में निहित हो जायेगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।

• भवनों के निर्माण हेतु भूमि एवं वाह्य विकास कार्य की व्यवस्था •

- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1131/ आठ-1-17-106 विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन-पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- शासन के आदेश संख्या-1878/आठ-1-18-80 विविध/2010/दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के वाह्य विकास कार्य निम्नानुसार विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्था के द्वारा कराये जाने है।

• एप्रोच रोड एवं ड्रेन/ सीवर •

- (अ) नगर के मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोड़ने वाली एप्रोच रोड उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप बिटुमिन्स रोड के रूप में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से निर्मित की जायेगी।
- (ब) एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर अन्य स्रोतों से भी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।
- (स) योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण नगर निगम/स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।
- (द) योजना परिसर के निकटवर्ती नगर के क्षेत्र में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर से नगर के मुख्य सीवर को जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम/स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद) द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

• वाह्य जलापूर्ति •

- (अ) योजना के प्रत्येक पाकेट में ओवर-हेड-टैंक (आवश्यकतानुसार) नलकूप राइजिंग मेन, पम्पिंग-प्लान्ट तथा पम्प हाउस का निर्माण उ0प्र0 जल निगम द्वारा वाटर सप्लाई मैनुअल के अनुसार किया जायेगा, जिसके लिये वास्तविक कार्य की लागत के आधार पर बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी तथा पेयजल का स्रोत समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

- (ब) पम्प हाउस में विद्युत संयोजन की कार्यवाही उ०प्र० जल निगम द्वारा अपने उपरोक्त विभागीय बजट से करायी जायेगी तथा पेय जलापूर्ति हेडवर्कर्स रख-रखाव हेतु नगर निकाय को हस्तगत की जायेगी।

वाह्य विद्युतीकरण

- (अ) योजना के प्रत्येक पाकेट में बाह्य विद्युतीकरण उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये वास्तविक लागत के अनुसार शासन स्तर से विद्युत वितरण प्रणाली हेतु आवंटित अपने विभागीय बजट के माध्यम से करायी जायेगी।
- (ब) वाह्य विद्युतीकरण के अन्तर्गत सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर लगाना, भूमिगत एल०टी० लाईन तथा भवनों में विद्युत संयोजन का कार्य (फीडर पिलर के माध्यम से) सम्मिलित होगा।
- (स) भवनों में विद्युत संयोजन के अन्तर्गत एल०टी० लाईन से भवनों के ब्लॉक्स में स्टेअर केस पर मीटर पैनल जोड़ने का कार्य सम्मिलित रहेगा।
- (द) मेन स्विच लगाने व मेन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा। उपरोक्त कार्य शासन द्वारा परिषद को धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर परिषद द्वारा भी सम्पादित कराये जा सकेंगे।

भवनों के विक्रय हेतु निर्धारित बैंकों का विवरण

क्रम सं०	योजना/शहर का नाम	बैंक एवं बैंक अधिकारी का नाम		बैंक का पता एवं मोबाइल नं०			
		नाम	बैंक	पता	सम्पर्क सूत्र	खाता संख्या	आई० एफ० सी० कोड
1	लोहरामऊ सुल्तानपुर	मोहम्मद शारिक	एच०डी०एफ०सी० बैंक	31/31 एम.जी मार्ग लखनऊ	+91 9838006959	50100257985949	HDFC0000078
2	अवध विहार योजना, जनपद लखनऊ	राहुल निगम	ऐक्सिस बैंक	प्रगति केन्द्र कपूरथला अलीगंज लखनऊ	+91 9554476691	919010083363218	UTIB0001692
3	जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ	शेखर गुप्ता	एच०डी०एफ०सी० बैंक	सूर्याश प्लाजा गढ़ रोड मेरठ	+91 9911872100	50100406534696	HDFC0001911

परिषद् अधिकारियों का विवरण

क्रम सं०	योजना/शहर का नाम	सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों का नाम	जोनल अधिकारी का नाम	सम्पर्क सूत्र
1	लोहरामऊ सुल्तानपुर	श्री मुकेश पाल मो०-8795810970	श्री हिमांशु कुमार गुप्ता	8189081005
2	अवध विहार योजना, जनपद लखनऊ	श्री सुनील कुमार मो०-8189081074	श्री हिमांशु कुमार गुप्ता	8189081005
3	जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ	श्री केशव राम मो०-7705003066	श्री राजीव कुमार	8588877002

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी घटक के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों का विवरण

क्रम सं०	जनपद/स्थल का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या	रेरा पंजीयन संख्या
1	लोहरामऊ सुल्तानपुर	22	UPRERAPRJ15327
2	अवध विहार योजना, जनपद लखनऊ	216	UPRERAPRJ15287, UPRERAPRJ15315 UPRERAPRJ15312, UPRERAPRJ15294
3	जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ	132	UPRERAPRJ15333, UPRERAPRJ292228 UPRERAPRJ321319, UPRERAPRJ930149

भवनों का विवरण

क्रम सं०	जोन का नाम	जनपद/ स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी.स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	₹ 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	लखनऊ जोन	लोहरामऊ सुल्तानपुर	22	22
2	लखनऊ जोन	अवध विहार योजना, जनपद लखनऊ	216	216
3	मेरठ जोन	जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ	132	132

• योजना/ शहर का कोड संख्या •

क्रम सं०	योजना/शहर का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या	कोड संख्या
1	लोहरामऊ सुल्तानपुर	22	04
2	अवध विहार योजना, जनपद लखनऊ	216	05
3	जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या- 11 मेरठ	132	07

• प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश •

- दुर्बल आय वर्ग की सुविधा के दृष्टिगत आवेदन पत्र आफलाइन स्वीकार्य होंगे।
- आवेदन पत्र पंजीकरण पुस्तिका, जिसमें सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित है, को निर्धारित बैंक एवं सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक ही पंजीकरण पुस्तिका क्रय कर सकता है।
- आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है, जिसमें अपने खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा तथा आई०एफ०एस०सी० संख्या) अंकित करना अनिवार्य है। सार्वजनिक लाटरी में असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण की धनराशि की वापसी में सुविधा होगी।
- सम्पूर्ण प्रविष्टि के उपरान्त पंजीकरण के निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र संबंधित बैंक में जमा करना होगा।
- अपूर्ण सूचना के साथ भरे आवेदन पत्र जमाकर्ता बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र जमाकर्ता बैंक से प्राप्त जमा रसीद को सुरक्षित रखेंगे तथा जमा रसीद पर अंकित संख्या महत्वपूर्ण है।
- आवेदन पत्र में वांछित सूचना यथा आरक्षण एवं अन्य से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज आवेदन पत्र में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक लाटरी से एक सप्ताह पूर्व परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर आवेदनकर्ताओं की सूची प्रदर्शित होगी।
- डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक “उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद” के पक्ष में देय होना चाहिए।
- आवेदन पत्र को नीली स्याही से ही भरा जायेगा।
- पंजीकरण पुस्तिका विक्रय हेतु निर्धारित बैंको द्वारा पंजीकरण पुस्तिका विक्रय करते समय ही पंजीकरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र पर बैंक की मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

₹100/-के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

• शपथ-पत्र •

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....उम्र.....वर्ष..... पुत्र/ पुत्री/
पत्नी.....निवासी..... शपथ पूर्वक बयान करता/ करती हूँ:

1. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/ करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/ देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/ पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा/ रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/ पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/ भवन नहीं है। तथा मेरे या मेरे परिवार के नाम भारत वर्ष अथवा 30प्र0 राज्य के अन्य किसी नगर/ शहर में कोई भी भवन/ भूखण्ड नहीं है।
4. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से (जी+3) प्रकार के भवन के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/ करूँगी।
5. यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/ श्रीमती/ सुश्री..... जो रिश्ते में मेरे/ मेरी..... हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करती/ करता हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/ श्रीमती/सुश्री.....जो मेरे/ मेरीहैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/ करती हूँ।
6. मैं पंजीकरण पुस्तिका का भलिभांति अध्ययन करने के उपरान्त निर्दिष्ट समस्त शर्तों/ प्रतिबन्धों का अनुपालन करूँगा/ करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद को मेरा आवंटन निरस्त करने एवं पंजीकरण धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं का खाता संख्या/ बैंक/ शाखा अंकित किया गया है वह संचालित रहेगा।
8. मैं शपथपूर्वक बयान करता/ करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष में समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (₹ 3,00,000 से अधिक नहीं थी) जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
9. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/ सूडा/ डूडा में आवेदित व्यक्ति की पंजीकरण संख्या.....आधार नम्बर.....पंजीकृत है।
10. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/ करती हूँ कि धारा 1 से 9 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है, तो परिषद को मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

• घोषणा •

मैं एतद्वारा शपथ बयान करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 10 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में सरकार/ 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कोई भी दिशा निर्देश दिये जाते हैं तो वह मेरे द्वारा मान्य होंगे।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर



30प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2024

सबके लिए आवास

के अन्तर्गत लखनऊ, सुल्तानपुर और मेरठ में जी+3 प्रकार के रिक्त दुर्बल आय वर्ग भवनों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

पंजीकरण अवधि : दि. 09.03.2024 से 23.04.2024 तक



जनपद : लखनऊ

जनपद : सुल्तानपुर

जनपद : मेरठ

अवध विहार योजना

रेरा पंजीकरण संख्या:

UPRERAPRJ15287 | UPRERAPRJ15315
UPRERAPRJ15312 | UPRERAPRJ15294

भवनों की संख्या - 216

पंजीकरण हेतु सुविधा प्रदाता बैंक: **AXIS BANK**
प्रगति केन्द्र, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ
श्री राहुल निगम, 9554476691

लोहरामऊ, सुल्तानपुर

रेरा पंजीकरण संख्या:

UPRERAPRJ15327

भवनों की संख्या - 22

पंजीकरण हेतु सुविधा प्रदाता बैंक: **HDFC Bank**
31/31 एम.जी. मार्ग, लखनऊ
मोहम्मद शारिक, 9838006959

जागृति विहार (विस्तार) योजना, संख्या-11 मेरठ

रेरा पंजीकरण संख्या:

UPRERAPRJ15333, UPRERAPRJ292228
UPRERAPRJ321319, UPRERAPRJ930149

भवनों की संख्या - 132

पंजीकरण हेतु सुविधा प्रदाता बैंक: **HDFC Bank**
सूर्याश प्लाजा गढ़ रोड, मेरठ
श्री शेखर गुप्ता, 9911872100

पंजीकरण पुस्तिका रु. 100/- (GST सहित) भुगतान कर उपरोक्त बैंक शाखाओं से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि के डिमांड ड्राफ्ट सहित) उपरोक्त बैंकों में ही जमा की जा सकती है।

भवनों का विवरण

सुपर एरिया (वर्ग मीटर)	कार्पेट एरिया (वर्ग मीटर)	प्रति भवन की कुल लागत (रु0 लाख में)	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रु0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु0 में)	शेष धनराशि (रु0 में)	भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि	
						संख्या	धनराशि (रु0 में)
34.07	22.77	6.00	2.50	5,000	3,45,000	180	3190

नियम एवं शर्तें:- ● आवेदक की वार्षिक आय रु. 3 लाख तक होनी चाहिए। ● आवंटियों को निर्गत किये जा रहे आवंटन पत्रों में आवंटनोपरान्त जमा की जाने वाली प्रथम एकमुश्त धनराशि रु0 3.50 लाख की 10 प्रतिशत जमा कराई जाएगी। ● आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। ● रु0 5,000/- पंजीकरण धनराशि के उपरान्त शेष धनराशि सब्याज 15 वर्षों में अर्थात् 180 मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा। ● आवेदन हेतु पात्रता एवं शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी परिषद द्वारा जारी पंजीकरण पुस्तिका में देखें। अधिक जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध है-पंजीकरण पुस्तिका में देखें। किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। ● रera संबंधी जानकारी के लिए www.up-rera.in का अवलोकन करें।



30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website : <https://www.upavp.in>, E-mail.: info@upavp.com



संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें
(टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803

[f](#) [x](#) [i](#) [v](#) UPHDBHQ



हमारा प्रयास, आपका आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
घटक भारीदारी में कि...
आवास (ए...)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

मूल्य
₹100/-



Toll Free No:- 18001805333 जन सुविधा केन्द्र:- 0522-2236803

    UPHDBHQ  www.upavp.in  info@upavp.com